"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक-एफ-1-25/2005/42.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं ।

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 2005" कहलायेंगे ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार ।

(ख) परीक्षा से अभिप्रेत है, नियम–11 के अधीन भर्ती के लिए ली गई परीक्षा ।

(ग) " सरकार " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ।

(घ) " राज्यपाल " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ।

(ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग ।

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची ।

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ।

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ।

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा ।

(ञ) "राज्य " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

(त) "मूल निवासी" से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी/स्थानीय निवासी ।

3. **विस्तार तथा लागू होना–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन:–** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–
   (1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों
   (2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों और,
   (3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि–** सेवा का वर्गीकरण, उनका वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदो की संख्या, अनुसूची– एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परंतु सरकार समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका–** (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात :–
   (क) प्रतियोगिता परीक्षा, मेरिट के आधार पर चयन या दोनो तरीकों से सीधी भर्ती द्वारा ।
   (ख) अनुसूची–चार के कालम (2) में यथालिखित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
   (ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो मूल रूप से ऐसी सेवा में ऐसे पद धारण करते हों जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें ।

   (2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा इन तरीकों द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से निश्चित की जायेगी ।

   (3) उपनियम–1 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

   (4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर सामान्य प्रशासन विभाग. की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती–संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जो सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किये जायें ।

   (5) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लागू होगें ।

7. **सेवा में नियुक्ति–** इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियॉ सरकार द्वारा की जाएगी और ऐसी नियुक्तियॉ नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तें** – परीक्षा में स्पर्धा करने/चयन किये जाने के लिये पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात :–

(1) **आयु**:–(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारम्भ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विर्निदिष्ट आयु प्राप्त न की हो ।

(ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम–4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पॉच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ग) उन अभ्यर्थियों को जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, उनकी उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन बढ़ायी जा सकेगी :

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थाई अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(दो) अस्थाई रूप से पद धारण करने वाले तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । यही छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगी।

(तीन) जो उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणाम स्परूप जो आयु, निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरन्तर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय के अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो "भूतपूर्व सैनिक" हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :– शब्द –"भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिनको किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन–पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गयी हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो ,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो, और जिन्हें:–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,

(चार) ऐसे अधिकारी सैनिक तथा असैनिक जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो ।

(पॉच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरूद्ध पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहे,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(ड.) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पॉच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) 'विक्रम पुरस्कार धारक' अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडलों के कर्मचारी है, उच्चतर आयु–सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ञ) स्वयं-सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नान-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु-सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये ।

टिप्पणी-(1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे ।

टिप्पणी-(2) किसी भी अन्य मामले में यह आयु सीमाएँ शिथिल नहीं की जाएंगी, विभागीय अभ्यर्थी को चयन के लिए उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(ट) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं निर्देश लागू रहेंगे ।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएँ** -अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये, जो अनुसूची-तीन, में सेवा के लिये विहित की गई है ।

(3) **फीस** -अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **अनर्हता** :-अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास, आयोग द्वारा उसके परीक्षा में प्रवेश/चयन के संबंध में अनर्हता के रूप में माना जायेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा** :- परीक्षा में बैठने के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी न किया हो, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** :- (1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा/चयन ऐसे अंतर से ली जायेगी, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर सरकार से परामर्श कर निश्चित करे ।

(2) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(3) चयन द्वारा सीधी भर्ती :- (क) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे ।

(ख) चयन समिति द्वारा सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा ।

(ग) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जायेगी ।

(घ)सीधी भर्ती के प्रक्रम पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमॉक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों लिये पद आरक्षित किये जायेंगे ।

(ड.) इस प्रकार अरक्षित रिक्त सीटों को भरते समय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के कम के अनुसार किया जायेगा चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो ।

(च) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, उप नियम (3) के अनुसार यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रिक्त सीटों पर नियुक्त किये जा सकेंगे ।

(छ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधो के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे ।

(ज) विकलांग अभ्यर्थियों के आरक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देश लागू होंगे ।

(झ) सेवा में भर्ती हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होना आवश्यक है ।

(ञ) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गो के अभ्यर्थियों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(ट) सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए संस्था प्रमुख, अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाएगा, ऐसे मामले में स्थानीय रोजगार कार्यालय से नाम बुलवाया जाना बाध्यकार नहीं होगा । सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी निम्नानुसार या कोई अन्य युक्ति संगत तरीका अपना सकेगा :–

1.	न्यूनतम अर्हता	–	80 (अधिकतम) ।
2.	उच्च योग्यता	–	05 (केवल डिप्लोमा एवं स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि ही मान्य होंगे)
3.	अपेक्षित अनुभव	–	10 (एक वर्ष के लिये 2 अंक)
4.	साक्षात्कार	–	05 (अधिकतम)

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची** :– (1) चयन समिति अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह उम्मीदवारों की योग्यता कम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किंतु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा मे नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, सरकार को भेजेगा । यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिये भी प्रकाशित की जाएगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिए गए नामों के क्रम से उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा ।

(3) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जॉच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे । परंतु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा ।

(2)समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों पर होगा, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं हो ।

(3)छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधो के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा ।

(4)आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया उपनियम (3) में उल्लेखित नियम तथा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार रहेगी ।

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :–** (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो स्थानान्तरण या मौलिक रूप से उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जितनी अनुसूची चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंध के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण :– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और न कि वेतनमान में आने की तारीख से ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति के लिये चयन के लिये विधिमान्य होंगे ।

15. **<u>उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना –</u>** (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों तथा जिन्हे समिति द्वारा

सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । उक्त सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भी भरने के लिये तैयार की जायेगी।

(2) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर और तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी ।

(3) चयन सूची तैयार करते समय सूची में शामिल किये गये व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथा विर्निदिष्ट किये गये अनुसार सेवा या पदों में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे ।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(5) इस प्रकार तैयार की गयी सूची प्रतिवर्ष पुर्नविलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी ।

(6) यथास्थिति चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रकिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिकमित करना प्रस्तावित किया जाता है तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी ।

स्पष्टीकरण –ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के उपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।

16 **चयन सूची**– (1)नियुक्ति प्राधिकारी समिति द्वारा तैयार की गयी सूची पर समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ विचार करेगी और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समितियों की टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात सूची को ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हो, के साथ, जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची चार के कालम (2) में वर्णित पदों से उक्त अनुसूची चार के कालम (3) में वर्णित पदो पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी ।

(4) चयन सूची साधारणतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (5) के अनुसार, उसका पुर्नविलोकित या पुनरीक्षित नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी ।

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य पालन में गंभीर चूक होनें की दशा में चयन सूची का विशेषरूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति–** (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी कम में की जाएगी जिस कम में ऐसे कर्मचारियों के नाम सूची में आए हों ।
(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है सेवा में नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आ गई हो जिससे कि वह नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो ।

18. **परिवीक्षा–** सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नति से भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण–** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्यपाल को, ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की, जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, शक्ति को सीमित या कम करती है,

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

21. **व्यावृत्ति–** इन नियमों की कोई भी बातें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

22. **निरसन और व्यावृत्ति**– मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, तकनीकी शाखा, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) भरती नियम 1980 (समसंख्यक अधिसूचना क. 121–4–73–एच–8–बीस दिनांक 26 अप्रेल 1980) छत्तीसगढ़ राज्य में इसके विस्तार के संबंध में तथा इन नियमों के प्रारंभ् होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त अन्य नियम एवं संकल्प इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

अनुसूची कमांक – चार
(नियम 13 और 14 देखिये)

अनुक्रमांक	उस पद/सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	पात्रता की कालावधि	पदोन्नति हेतु शैक्षणिक अर्हता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	क. *संचालनालय तकनीकी शिक्षा* डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	प्रोग्राम सहायक	10 वर्ष	देखिए अनुसूची–तीन	(1)वरिष्ठ प्राचार्य, इंजी. महा.–अध्यक्ष (2)वरिष्ठ प्राचार्य, पॉली. –उपाध्यक्ष (3)संयुक्त संचालक, (संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट)–सदस्य (4)प्रोफेसर संबंधित विषय, (संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट)–सदस्य
1	ख **अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक** कर्मशाला सहायक /कर्मशाला निर्देशक /कनिष्ठ निर्देशक /तकनीकी सहायक	असिस्टेंट वर्कशॉप फोरमेन	5 वर्ष	तदैव	तदैव
2	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/कम्प्यूटर कक्ष सहायक	प्रोग्राम सहायक	10 वर्ष	तदैव	तदैव
3	डिमांस्ट्रेटर/यंत्र सुधारक / मैकेनिक /मेन्टेनेंस तकनिशियन	कनिष्ठ अनुदेशक	5 वर्ष	तदैव	तदैव
4	अनुदेशक/ मशीनशॉप अनुदेशक	कर्मशाला अनुदेशक	5 वर्ष	तदैव	तदैव
5	मेट्रन/केयर टेकर (पॉलीटेक्निक)	कैंपस सुपरवाईजर	5 वर्ष	तदैव	तदैव
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	तकनीकी सहायक	5 वर्ष	तदैव	तदैव
7	कुशल परिचारक (प्रयोगशाला) /प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला तकनीशियन	5 वर्ष	तदैव	तदैव
8	कुशल सहायक(कर्मशाला)/बायलर अटेंडेंट	अनुदेशक	5 वर्ष	तदैव	तदैव
9	ट्रेसर	ड्राफ्ट्समेन (मानचित्रकार)	12 वर्ष	तदैव	तदैव
10	प्रयोगशाला परिचारक	कुशल परिचारक (प्रयोगशाला)	5 वर्ष	तदैव	तदैव
11	कर्मशाला परिचारक/सहायक अनुदेशक	कुशल सहायक (कर्मशाला)	5 वर्ष	तदैव	तदैव

अनुसूची–एक
(नियम–4 देखिये)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
(क)	संचालनालय तकनीकी शिक्षा				
1	प्रोग्राम सहायक	1	अलिपिकीय	5500–9000	
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	4	–तदैव–	4500–7000	
3	मेकेनिक कम ऑपरेटर	1	–तदैव–	4000–6000	डाइंग केडर
(ख)	अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेकनिक				
1	प्रोग्राम सहायक	1	अलिपिकीय	5500–9000	
2	ड्राफ्टसमेन (मानचित्रकार)	29	–तदैव–	5000–8000	
3	असिस्टेन्ट वर्कशाप फोरमेन	01	–तदैव–	5000–8000	
4	मेट्रन/केयर–टेकर				
	(अ) इंजीनियरिंग महाविद्यालय	04	–तदैव–	4500–7000	
	(ब) पॉलीटेक्निक (अंबिकापुर को छोड़कर)	05	–तदैव–	4000–6000	
	(स) पॉलीटेक्निक अंबिकापुर	01	–तदैव–	3050–4590	
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	–तदैव–	4500–7000	
6	तकनीकी सहायक	72	–तदैव–	4500–7000	
7	कर्मशाला सहायक	2	–तदैव–	4500–7000	
8	कम्प्युटर कक्ष सहायक	01	–तदैव–	4500–7000	
9	फोटोग्राफिक सहायक	01	–तदैव–	4500–7000	
10	कर्मशाला निर्देशक	69	–तदैव–	4500–7000	
11	यंत्र सुधारक	8	–तदैव–	4000–6000	
12	चार्ज मेन	02	–तदैव–	4000–6000	
13	इन्स्ट्रूमेंट रिपेयर	02	–तदैव–	4000–6000	
14	मशीनशाप निर्देशक	02	–तदैव–	4000–6000	
15	प्रयोगशाला तकनीशियन	109	–तदैव–	4000–6000	
16	सेनेटरी इन्सपेक्टर	01	–तदैव–	3500–5200	
17	मेकेनिक ग्रेड– 2	01	–तदैव–	3500–5200	
18	सहायक ग्रंथपाल	06	–तदैव–	3500–5200	
19	ग्रंथालय लिपिक	05	–तदैव–	3050–4590	
20	कुशल परिचारक	12	–तदैव–	3050–4590	
21	बायलर अटेन्डेन्ट	06	–तदैव–	3050–4590	
22	गैस मेकेनिक	01	–तदैव–	3050–4590	
23	इंजन ड्रायवर	02	–तदैव–	3050–4590	
24	इंजन अटेन्डेन्ट	03	–तदैव–	3050–4590	
25	समयपाल	03	–तदैव–	3050–4590	
26	कुशल सहायक	62	–तदैव–	3050–4590	
27	विद्युतकार	17	–तदैव–	3050–4590	
28	ट्रेसर	04	–तदैव–	3050–4590	
29	कम्पाउन्डर	01	–तदैव–	3050–4590	प्रतिनियुक्ति से
30	कनिष्ठ निर्देशक	15	–तदैव–	4500–7000	
31	प्लम्बर फीटर	02	–तदैव–	3050–4590	
32	कैंपस सुपरवाइजर	03	–तदैव–	4500–7000	
33	डाटा एंट्री ऑपरेटर	04	–तदैव–	4500–7000	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
34	सर्वे फील्ड सहायक	01	–तदैव–	4500–7000	
35	निर्देशक	69	–तदैव–	4000–6000	
36	डिमान्स्ट्रेटर	03	–तदैव–	4000–6000	
37	टाईप राइटर मैकेनिक	02	–तदैव–	4000–6000	
38	मोटर चालक	04	–तदैव–	3050–4590	
39	प्रयोगशाला सहायक	04	–तदैव–	3050–4590	
40	मैकेनिक	03	–तदैव–	4000–6000	
41	मेंटेनेंस तकनीशियन	09	–तदैव–	4000–6000	
(ग)	**शासकीय पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र– रतनपुर एवं जशपुर :**				
1	केरियर मास्टर	2	–तदैव–	5000–8000	
2	जनरल एजुकेशन टीचर	6	–तदैव–	4500–7000	
3	काफ्ट इन्स्ट्रक्टर	8	–तदैव–	4000–6000	
4	कर्मशाला सहायक	2	–तदैव–	4000–6000	

अनुसूची–दो
(नियम–4 देखिये

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदो की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के मूल अरथाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा के व्यक्तियों के स्थानां –तरण द्वारा	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
(क)	संचालनालय तकनीकी शिक्षा					
1	प्रोग्राम सहायक	1	—	100	–	
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	4	100	—	–	
3	मेकेनिक कम ऑपरेटर	1	100	—	–	डाइंग केडर
(ख)	अभियांत्रिक महाविद्यालय / पॉलीटेकनिक					
1	प्रोग्राम सहायक	1	–	100	–	
2	ड्राफ्ट्समेन (मानचित्रकार)	29	75	25	–	
3	असिस्टेन्ट वर्कशाप फोरमेन	01	–	100	–	
4	मेट्रन / केयर टेकर	10	100	–	–	
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	100	–	–	
6	तकनीकी सहायक	72	25	75	–	
7	कर्मशाला सहायक	2	–	100	–	
8	कम्प्युटर कक्ष सहायक	01	100	–	–	
9	फोटोग्राफिक असिस्टेन्ट	01	100	–	–	
10	कर्मशाला निर्देशक	69	50	50	–	
11	यंत्र सुधारक	8	100	–	–	
12	चार्ज मेन	02	100	–	–	
13	इन्स्ट्रूमेंट रिपेयर	02	100	–	–	
14	मशीनशॉप निर्देशक	02	100	–	–	
15	प्रयोगशाला तकनीशियन	109	50	50	–	
16	सेनेटरी इन्सपेक्टर	01	100	–	–	
17	मेकेनिक ग्रेड– 2	01	100	–	–	
18	सहायक ग्रंथपाल	06	100	–	–	
19	ग्रंथालय लिपिक	05	100	–	–	
20	कुशल परिचारक	12	50	50	–	
21	बायलर अटेन्डेन्ट	06	100	–	–	
22	गैस मेकेनिक	01	100	–	–	
23	इंजन ड्रायवर	02	100	–	–	
24	इंजन अटेन्डेन्ट	03	100	–	–	
25	समयपाल	03	100	–	–	
26	कुशल सहायक	62	75	25	–	
27	विद्युतकार	17	100	–	–	
28	ट्रेसर	04	100	–	–	
29	कम्पाउन्डर	01		–	–	प्रतिनियुक्ति
30	कनिष्ठ निर्देशक	15	50	50	–	–
31	प्लम्बर फीटर	02	100	–	–	–
32	कैंपस सुपरवाईजर	03	25	75	–	–
33	डाटा एंट्री ऑपरेटर	04	100	–	–	–
34	सर्वे फील्ड सहायक	01	100	–	–	–

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
35	अनुदेशक	69	50	50	–	–
36	डिमान्स्ट्रेटर	03	100	–	–	–
37	टाईप राइटर मैकेनिक	02	100	–	–	–
38	मोटर चालक	04	100	–	–	–
39	प्रयोगशाला सहायक	04	100	–	–	–
40	मैकेनिक	03	100	–	–	–
41	मेंटेनेंस तकनीशियन	09	100	–	–	–
;गद्ध	शासकीय पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र – रतनपुर एवं जशपुर					
1	केरियर मास्टर	2	–	100	–	
2	जनरल एजुकेशन टीचर	6	100	–	–	
3	काफ्ट इन्स्ट्रक्टर	8	100	–	–	
4	कर्मशाला सहायक	2	100	–	–	

अनुसूची–तीन
(नियम 8.2 देखिये)

अ.क्र.		पदों के नाम	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा		शैक्षणिक अर्हता	नियुक्ति प्राधिकारी
			न्यूनतम	अधिकतम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					अभियांत्रिक महाविद्यालय /पॉलीटेकानेक	
1	तकनीकी शिक्षा	प्रोग्राम सहायक	18	30	प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर साईंस या इन्फार्मेशन टेक्नालाजी में छ.ग.के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर सेंटर से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का कम से कम दो वर्ष का अनुभव । या गणित, भौतिकी /सांख्यिकी विषय के साथ में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ 1 वर्ष का पी.जी.डी.सी.ए. एवं किसी मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर केन्द्र से कम से कम 1 वर्ष का अनुभव ।	संस्था प्रमुख
2		असिस्टेन्ट वर्कशाप फोरमेन	18	30	छ.ग. के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से धातुकर्म /मेकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि एवं 3 वर्ष का अनुभव । या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 7 वर्ष का अनुभव ।	संस्था प्रमुख
3		ड्राफ्टसमेन (मानचित्रकार)	18	30	छत्तीसगढ़ के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल /मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल/माइनिंग/आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि तथा तीन वर्ष का अनुभव या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नक्शानवीसी ड्राफ्टसमेन शिप में सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 5 वर्ष का अनुभव।	संस्था प्रमुख
4		मेट्रन/केयर टेकर	18	30	छ.ग. के किसी मान्यता प्राप्त वि.वि.से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधिय भंडार के रखरखाव लेखा संबंधी कार्य एवं कंम्प्यूटर कार्य में दक्षता रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी । मेट्रन का पद महिला छात्रावास के लिए है ।	संस्था प्रमुख
5		कम्प्युटर ऑपरेटर /डाटा एंट्री ऑपरेटर/ कम्प्युटर कक्ष सहायक	18	30	गणित/भौतिक/सांख्यिकी में कम से कम 50:अंक सहित स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का 3 वर्ष का अनुभव । या कम्प्यूटर साइंस इम्फार्मेशन टेक्नालाजी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि के साथ 1 वर्ष का कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का अनुभव. । या पॉलीटेक्निक से किसी भी विषय में पत्रोपाधि के साथ मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से कम्प्युटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट. में 1 वर्ष का प्रमाण–पत्र **नोटः–डाटा एंट्री की गति 10000 डिप्रेशन/घंटा होना आवश्यक है ।** (कोबोल/पारकल/एम.एस. ऑफिस/पेजमेकर आदि नवीनतम प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम की ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी) ।	संस्था प्रमुख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6		तकनीकी सहायक	18	30	**(अ) तकनीकी** – छ.ग. की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग की समुचित शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि । या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से समुचित व्यवसायिक ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 5 वर्ष का अनुभव । **(ब) विज्ञान** – छ.ग. के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र/जीवविज्ञान अथवा भू–विज्ञान विषय सहित कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि	संस्था प्रमुख
7		सर्वे फील्ड असिस्टेन्ट	18	30	छत्तीसगढ़ के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरी अथवा माइनिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि के साथ 2 वर्ष का अनुभव (माइन सर्वे में अनुभवी व्यक्ति को अधिमान दिया जावेगा)	संस्था प्रमुख
8		कनिष्ठ अनुदेशक /कर्मशाला सहायक/ अनुदेशक/ कर्मशाला अनुदेशक	18	30	छ.ग. के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग की समुचित शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि । या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित व्यवसायिक ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव	संस्था प्रमुख
9		फोटोग्राफिक असिस्टेन्ट	18	30	हायर सेकेन्डरी/12 वीं पास तथा किसी प्रसिद्ध स्टूडियो में फोटोग्राफी का 5 वर्ष का अनुभव । (किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी में सक्षमता प्रमाण पत्र को वरीयता दी जायेगी) ।	संस्था प्रमुख
10		यंत्र सुधारक	18	30	प्रिसीजन/इलेक्ट्रानिक्स इन्स्ट्रूमेंट तथा उपकरण की मरम्मत तथा सर्विसिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव ।	संस्था प्रमुख
11		चार्ज मेन (कर्मशाला)	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबधित व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ 3 वर्ष का संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में अनुभव	संस्था प्रमुख
12		सेनेटरी इन्सपेक्टर	18	30	जैसा कि लोक स्वास्थ्य विभाग में विहित हो ।	संस्था प्रमुख
13		मशीनशाप अनुदेशक	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मशीनिस्ट/ग्राइंडर ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव	संस्था प्रमुख
14		प्रयोगशाला तकनीशियन	18	30	(अ) तकनीकी–किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग की समुचित शाखा में पत्रोपाधि (ब) विज्ञान–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि (भौतिक/रसायन/भू–विज्ञान विषय के साथ) ।	संस्था प्रमुख
15		मेकेनिक ग्रेड–2	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से समुचित ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव	संस्था प्रमुख
16		समयपाल	18	30	हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र उत्तीर्ण ।	संस्था प्रमुख
17		लेबोरेटरी असिस्टेन्ट	18	30	विज्ञान विषयों सहित हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र	संस्था प्रमुख
18		मेन्टेनेंस तकनीशियन	18	30	(अ)मैकेनिकल–मशीनीस्ट/फीटर ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण–पत्र एवं किसी औद्योगिक संस्थान में पाँच वर्ष का कार्यअनुभव । (ब)इलेक्ट्रिकल–इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण–पत्र एवं किसी आद्योगिक संस्थान में 5 वर्ष का कार्यानुभव ।	संस्था प्रमुख
19		कम्प्युटर हार्डवेयर मैकेनिक	18	30	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर मैकेनिक ट्रेड में आई.टी.आई. सक्षमता प्रमाण–पत्र एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में एक वर्ष का कार्यानुभव ।	संस्था प्रमुख
20		डिमान्स्ट्रेटर	18	30	इंजीनियरिंग की समुचित तकनीकी शाखाध्खनिकर्म (माइनिंग) इंजीनियरी की शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि (अनुभवी उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा)	संस्था प्रमुख
21.		सहायक ग्रंथपाल/ग्रंथा. लिपिक	18	30	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा या समकक्ष परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के साथ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण.	संस्था प्रमुख
22.		बायलर अटेन्डेन्ट	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी का बायलर अटेन्डेन्ट प्रमाण पत्र (जिन उम्मीदवारों के पास हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र होगा उनको अधिमान दिया जायेगा) ।	संस्था प्रमुख
23.		कुशल सहायक/ अटेण्डेन्ट	18	30	मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से समुचित ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र (अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी) ।	संस्था प्रमुख
24		इंजन ड्रायवर/ अटेन्डेन्ट	18	30	ड्रायवर/मेकेनिक ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण पत्र सहित आई. सी. इंजनो का संचालन और अनुरक्षण का 3 वर्ष का अनुभव।	संस्था प्रमुख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25		गैस मेकेनिक	18	30	कम से कम हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र तथा उपयुक्त व्यावसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण पत्र सहित केरोसिन आईल गैस और गैस प्लांट के अनुरक्षण का 3 वर्ष का अनुभव ।	संस्था प्रमुख
26		विद्युतकार	18	30	विद्युतकार व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सक्षमता प्रमाण पत्र सहित संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव या 10वी कक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र/छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के लाइसेंसिंग बोर्ड से वायरमेन के लायसेंस प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र ।	संस्था प्रमुख
27		कम्पाउन्डर	18	30	जैसा कि लोक स्वास्थ्य विभाग में विहित हों ।	संस्था प्रमुख
28		ट्रेसर	18	30	मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से नक्शा नवीसी (ड्राफ्समेन शिप) में सक्षमता प्रमाण पत्र ।	संस्था प्रमुख
29		केरियर मास्टर	18	30	शिक्षा में स्नातक उपाधि या कला में मनोविज्ञान एक विषय सहित उपाधि अथवा कृषि में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष तथा अध्यापन कार्य के 3 साल के अनुभव और हिन्दी भाषा पर अधिकार/ विज्ञान स्नातक कृषि उपाधि का अधिमान दिया जायेगा ।	संचालक
30		जनरल एजुकेशन टीचर	18	30	बी.ए./ बी.एस.सी. सहित बी.टी.आई./बी.एड (अध्यापन अनुभव को अधिमान दिया जायेगा)।	संचालक
31		काफ्ट इन्स्ट्रक्टर	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र सहित 3 वर्ष का अनुभव तथा हिन्दी में पढाने की क्षमता	संचालक
32		ड्राइवर	18	30	कक्षा 10वीं उत्तीर्ण सहित भारी वाहन चालक का लायसेंस एवं 3 वर्ष कार्यानुभव	संस्था प्रमुख
33		प्लम्बर फीटर	18	30	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित ट्रेड में सक्षमता प्रमाणपत्र तथा संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव ।	संस्था प्रमुख
34		कैंपस सुपरवाईजर	18	30	किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि ।	संस्था प्रमुख
35		टाईपराईटर मैकेनिक	18	30	फीटर व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सक्षमता प्रमाण-पत्र तथा टाईपराईटर मरम्मत का 5 वर्ष का अनुभव या संबंधित शाखा में 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।	संस्था प्रमुख

टीपः- तकनीकी सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के पदों पर संस्था के आवश्यकतानुसार तकनीकी विभागों के लिए तकनीकी योग्यता (पत्रोपाधि या आई.टी.आई. प्रमाण पत्र) धारी को एवं अतकनीकी विभाग या पाठ्यकम जैसे- भौतिकी एवं रसायन तथा अन्य प्रयोगशाला के लिए विज्ञान योग्यताधारी को नियुक्त किया जा सकेगा ।

Raipur, the 25th August 2005

NOTIFICATION

No. F-1-25/2005/42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the Recruitment of Chhattisgarh Technical Education, Class-III (Non-Ministerial) Service.

RULES

1. **Short title and commencement:** - (1) These rules may be called the "Chhattisgarh Technical Education Class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2005".
   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:** - In these rules, unless the context otherwise requires, -
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government.
   (b) "Examination" means the competitive examination for recruitment conducted under Rule 11
   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh.
   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh.
   (e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by Notification.
   (f) "Schedule" means a schedule appended to these rules.
   (g) "Schedule Caste" means the Scheduled Caste as specifed in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India. .
   (h) Scheduled Tribe" means the Schedul Tribe as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India.
   (i) "Service" means the Chhattisgarh Technical Education Class-III (Non-Ministerial) Service.
   (j) "State" means the State of Chhattisgarh.
   (k) "Domicile " means a bonafide resident of Chhattisgarh as per directives issued from time to time by the General Administration Department.

3. **Scope and Application:** - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to member of the service.

4. **Constitution of the Service:** - The Service shall consist of the following persons, namely: -
   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively on the posts specified in schedule-I,
   (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules, and
   (3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classifications, Scale of Pay etc.** - The classification of the Service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provision contained in Schedule-I;

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment:** -(1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) By Direct recruitment by competitive examination or by merit selection or by both.

(b) By promotion as shown in column (1) of Schedule IV;

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf.

(2) Subject to the provisions of these Rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointment authority in consultation with the Government.

(3) The number of persons recruited under clause (b), or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule II, of the number of posts as specified in schedule-I.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of the Service so require, Government may after approval of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes) Rules 1994 and the directives issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service:**- All appointments to the Service after commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8. **Conditions of Eligibility of Candidates for Direct Recruitment:**- In order to be eligible to compete at the Examination/ Selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age-

(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for appointment of women's) Rules, 1997. The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates. who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below: -

(i) A Candidate, who is a permanent Government Servant, shall not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post shall not be more than 38 year of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charge employees and employees working in the project implementing committees.

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant", shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: - The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reductions in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(d) A Candidate who is an "ex-serviceman" shall be allowed to deduct from his age the period of all defense Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the uppe age limit by more than three years.

Explanation: - The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short-term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit-

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers.

(v) Officers Discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc.

(e) The general upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of widow, destitute or divorced woman candidates.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under the family welfare programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of superior caste partner of a couple awarded under the Inter-Caste marriage incentive Scheme of the Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Other Backward classes welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of thee "vikram Award" holder candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guard and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note: - (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above, will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note: - (2) **In** no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(k) Orders and directives, issued from time to time, of General Administration Department in respect to Age shall be applicable.

(2) **Educational Qualification:** - The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III

(3) **Fees:** -The candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority.

9. **Disqualification:** - Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the appointing Authority to disqualify him to appear examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about eligibility of candidate shall be final-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to Examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be admitted to the examination.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination:-**(1) Competitive examination /Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may in consultation with the Government from time to time, determine.

(2) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(3) **Direct recruitment by selection – (a)** Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals, as the Appointing Authority may from time to time determine.

(b) The selection of the candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing the, and

(c) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(d) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke liye Aarakshan Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994)

(e) In filling the vacancies so reserved, candidates who are the members of the Scheduled Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(f) Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes, declared by the Appointing Authority to be Suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3) .

(g) At the stage of direct recruitment 30 percent posts shall be reserved for Women candidates, in accordance with provision of the Chhattisgarh Civil Services (special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(h) Rreservation for physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by General Administration Department.

(i) For the recruitment in services, the candidate must be a domicile of Chhattisgarh State.

(j) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Appointing Authority it is found that the sufficient number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates having requisite experience is not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates.

(k) For the appointment in direct recruitment post, the head of the institute shall published the advertisement in leading news paper in such cases it will be not mandatory to call the names from local employment exchange offices. For the appointment in direct recruitment posts by merit basis the following or any other appropriate procedure may be adopted by the appointing authority.

(1) Minimum qualification	–	80 (Maximum)
(2) Higher qualification	–	05 (Only Diploma /Degree/PG. Degree is admissible)
(3) Required experience	–	10 (Two marks for 1 year)
(4) Personal interview	–	05 (Maximum)

12. **List of Candidates Recommended by the Selection Committee: - (1)** The Selection Committee shall forward to the Appointing Authority a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions and Service) Rules, 1961, candidate shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. **Appointment by Promotion:** - (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, that provisions of Section of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Aarakkshan Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), Shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil services (promotion) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with rules mentioned in sub-rule (3) and the instructions issues by the Government in the General Administration Department, from time to time.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer:** -(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of services, (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent there to by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule(2)

Explanation: Method of Computation for Eligibility for Promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion committee/Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder Cadre/post of service/ post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) The Field of selection for promotion shall be valid in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule -2003

15. **Preparation of the list of suitable candidates**:- (1)The Departmental Promotion Committee shall prepare list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. a reserve list consisting of 25 per cent. of number of persons included in

the select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies during the course of aforesaid period.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post of Class IV to Class III, and Class III to Class III, the criterion shall be seniority subject to fitness.

(3) The name of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in Column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list.

(4) Those candidates of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes who have been declared eligible for appointment in the service by the Appointing authority, keeping in overall view to maintain efficiency of the administration, can be appointed against vacancies reserved for Sheduled Cast, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

(5) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(6) If in the process of selection, review or revision, as the case may be it is proposed to supersede any member of the service the Committee shall record its reasons for the proposed super session.

Explanation: - A person, whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List: - (1) The appointing authority shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the Committee and unless it considers change necessary, approved the list.

(2) If the appointing authority considers if necessary to make any change in the list received from the Committee shall inform the Committee of the change proposed and after taking into account the comments, if any of the Committee may approve the list finally with such modification if any, as may in the opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Appointing Authority shall from the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (5) of rule 15, but it's validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list: - (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear the select list: -

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Department Promotion Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any

deterioration in his work which in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18. **Probation:** -Every person directly recruited or promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation:**-If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation:** -Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving:** -Nothing in these rules affects reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving:** -Madhya Pradesh Technical Education Class III (Non-Ministerial) Recruitmat Rules (vide Notification No.121-4-73-H-8-XX-dated 20.4.1980) in relation to its extent in the State of Chhattisgarh and Other rules and resolution in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by this rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश त्रिपाठी, उप-सचिव.

SCHEDULE-I
[See Rule 4]

Sr.No.	Name of the posts included in the service.	No. of posts Sanctioned	Classification	Pay Scale	Remark
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	**Diectorate of Technical Education**				
1	Programme Asstt.	01	Non Ministerial	5500-9000	
2	Data Entry opretor	04	Non Ministerial	4500-7000	
3	Mechnic cum opretor	01	Non Ministerial	4000-6000	Dieing Cader
B. Engineering College/Polytechnic					
1	Programme Asstt.	01	Non-Ministerial	5500-9000	
2	Draughtsman	29	-do-	5000-8000	
3	Asstt.Workshop Foreman	01	-do-	5000-8000	
4	Matron/Care Taker		-do-		
	a. Engineering College	04	-do-	4500-7000	
	b. Polytechnic (except Ambikapur)	05	-do-	4000-6000	
	c.Polytechnic Ambikapur	01	-do-	3050-4590	
5	Computer Operator	01	-do-	4500-7000	
6	Technical Asstt.	72	-do-	4500-7000	
7	Workshop Asstt.	02	-do-	4500-7000	
8	Computer Room Asstt.	01	-do-	4500-7000	
9	Photographic Asstt.	01	-do-	4500-7000	
10	Workshop Instructor	69	-do-	4500-7000	
11	Instrument Repairer	08	-do-	4000-6000	
12	Chargeman	02	-do-	4000-6000	
13	Instrument Repairer	02	-do-	4000-6000	
14	Machine shop Instructor	02	-do-	4000-6000	
15	Laboratory Technician	109	-do-	4000-6000	
16	Sanitary Inspector	01	-do-	3500-5200	
17	Mechanic Grade II	01	-do-	3500-5200	
18	Asstt. Librarian	06	-do-	3500-5200	
19	Library Clerk	05	-do-	3050-4590	
20	Skilled Attendant	12	-do-	3050-4590	
21	Boiler Attendant	06	-do-	3050-4590	
22	Gas Mechanic	01	-do-	3050-4590	
23	Engine Driver	02	-do-	3050-4590	
24	Engine Attendant	03	-do-	3050-4590	
25	Time Keeper	03	-do-	3050-4590	
26	Skilled Asstt.	62	-do-	3050-4590	
27	Electrician	17	-do-	3050-4590	

28	Tracer	04		3050-4590	
29	Compounder	01	-do-	3050-4590	By Deputation
30	Junior Instructor	15	-do-	4500-7000	
31	Plumber Fitter	02	-do-	3050-4590	
32	Campus Supervisor	03	-do-	4500-7000	
33	Data Entry operator	04	-do-	4500-7000	
34	Survey Field Asstt.	01	-do-	4500-7000	
35	Instructor	69	-do-	4000-6000	
36	Demonstrator	03	-do-	4000-6000	
37	Type writer mechanic	02	-do-	4000-6000	
38	Motor Driver	04	-do-	3050-4590	
39	Laboratory Asstt.	04	-do-	3050-4590	
40	Mechanic	03	-do-	4000-6000	
41	Maintenance Technician	09	-do-	4000-6000	
C.	**P.V.T.C. RATANPUR AND JASHPUR**				
1	Career Master	02	Non Ministerial	5000-8000	
2	General Education Teacher	06	-do-	4500-7000	
3	Craft Instructor	08	-do-	4000-6000	
4	Workshop Asstt.	02	-do-	4000-6000	

SCHEDULE-II

[See Rule 4]

Sr.No.	Name of the posts included in the service.	No. of posts Sanctioned	Percentage of the number of duty post to be filed in			Remark
			By direct recruitment by selection	By promotion of substantive/temporary members of service	By transfer of persons from other service	
1.	2.	3.	4.	5.		7.
A.	**Diectorate of Technical Education**					
1	Programme Asstt.	01	--	100	--	
2	Data Entry opretor	04	100		--	
3	Mechnic cum opretor	01	100		--	Dieing Cader
B.	**Engineering College/Polytechnic**					
1	Programme Asstt.	01	-	100	--	
2	Draughtsman	29	75	25	--	
3	Asstt.Workshop Foreman	01	-	100	--	
4	Matron/Care Taker	10	100	--	--	
5	Computer Operator	01	100	--	--	
6	Technical Asstt.	72	25	75	--	
7	Workshop Asstt.	02	-	100	--	
8	Computer Room Asstt.	01	100	--	--	
9	Photographic Asstt.	01	100	--	--	
10	Workshop Instructor	69	50	50	--	
11	Instrument Repairer	08	100	--	--	
12	Charge man	02	100	--	--	
13	Instrument Repairer	02	100	--	--	
14	Machine shop Instructor	02	100	--	--	
15	Laboratory Technician	109	50	50	--	
16	Sanitary Inspector	01	100	--	--	
17	Mechanic Grade II	01	100	--	--	
18	Asstt. Librarian	06	100	--	--	
19	Library Clerk	05	100	--	--	
20	Skilled Attendant	12	50	50	--	
21	Boiler Attendant	06	100	--	--	
22	Gas Mechnic	01	100	--	--	
23	Engine Driver	02	100	--	--	
24	Engine Attendant	03	100	--	--	
25	Time Keeper	03	100	--	--	
26	Skilled Asstt.	62	75	25	--	
27	Electrician	17	100	--	--	
28	Tracer	04	100	--	--	

29	Compounder	01	-	--	100	By Deputation
30	Junior Instructor	15	50	50	--	
31	Plumber Fitter	02	100	--	--	
32	Campus Supervisor	03	25	75	--	
33	Data Entry operator	04	100	--	--	
34	Survey Field Asstt.	01	100	--	--	
35	Instructor	69	50	50	--	
36	Demonstrator	03	100	--	--	
37	Type writer mechnic	02	100	--	--	
38	Motor Driver	04	100	--	--	
39	Laboratory Asstt.	04	100	--	--	
40	Mechnic	03	100	--	--	
41	Maintenance Technician	09	100	--	--	
C.	**P.V.T.C. RATANPUR AND JASHPUR**					
1	Career Master	02	100	100	--	
2	General Education Teacher	06	100	--	--	
3	Craft Instructor	08	100	--	--	
4	Workshop Asstt.	02	100	--	--	

SCHEDULE-III
(See Rule 8.2)

S.No	Name of posts	Age Limit for Direct Recruitment		Educational Qualification	Appointing Authority
		Minimum	Maximam		
1.	2.	3.	4.		5.
Engineering College/Polytechnic					
1.	Programme Assistant	18	30	First class diploma in computer Science/ Information Technology from Recognised Institution of Chhattisgarh or equivalent Diploma with 2 year experience in computer programming from Recognised computer centre. OR First class Bachelor's Degree in Maths, Physics/Statistics with P.G.D.C. A. of 1 year and at least 1 year experience from Recognised computer center.	Head of Institution
2	Astt. Workshop Foreman	18	30	At least II Class Diploma in Metallurgy/Mechanical Engineering from Recognised Institution of Chhattisgarh or equivalent Diploma with 3 year experience OR I.T.I. Cerfificate of competency with 7-year experience.	Head of Institution
3	Draughtsman	18	30	At least a II class diploma in Civil/Mech./Electrical/ Mining/Architecture Engineering. From Recognised Institution of Chhattisgarh or Equivalent Diploma with 3 year experience. OR I.T.I. Certificate of competency in Draughts-manship with 5 year experience.	Head of Institution
4	Matron/ Care Taker	18	30	At least II class Bachelor's Degree from recognised university of Chhattisgarh, or equivalent Candidate having proficiency in works related to audit, maintenance of store, accounts, computer will be given preference. The post of Matron is for Women's Hostels.	Head of Institution
5	Computer Operator/ Data Entry Operator/ Computer Room	18	30	Bachelor's Degree with at least 50% marks inMaths/Physics/Stastistics with 3 year experience in computer programming OR At least II class Diploma in computer seience/Information Technology from a	Head of Institution

	Assistant			recognised Institution with 1 year experience of computer Programming. OR Diploma in any subject from recognised polytechnics with 1 year experience certificate of computer operater and programming Assistant from Industrial Training Institute (cobal/pascal/MS office Pagemaker etc.)	
6	Technical Assistant	18	30	(A) Technical : At least II class Diploma in appropriate Branch of Engg. from a recognised Institution of Chhattisgarh. OR I.T.I. certificate of competency in the appropriate trade with 5 year experience. (B) Science: At least II class Bachelor's Degree in science with chemistry/ Physics/ Biology or geology as one of the subject.	Head of Institution
7	Survey Field Assistant	18	30	At least a II class Diploma in Civil Engineering or mining from Recognised Institution of Chhattisgarh or equivalent with 2 year experience (preference will be given to candidate having experience in mine survey)	Head of Institution
8	Junior Instructor/ workshop Assistant/ Instructor/ Workshop Instructor	18	30	At least II class Diploma in appropriate Branch of Engg. From Recognished Institute of Chhattisgarh or equivalent OR I.T.I. Cerfificate of competency in appropriate trade with 3 year experience.	Head of Institution
9	Photographic Assistant	18	30	Higher Secondery 12th pass with experience of 5 year in photography in photo studio of repute. A Cerfificate of competency of a recognised Institution will be preferred.	Head of Institution
10	Instrument Repairer	18	30	I.T.I. Certificate of competency in repairing and servicing of precision/Electronic Instruments and equipment with at least 3 year experience in the trade.	Head of Institution
11	Charge Man (workshop)	18	30	I.T.I. Certificate of competency in the related trade with 3 years experience in the trade.	Head of Institution
12	Sanitary Inspector	18	30	As Prescribed under public Health Department.	Head of Institution
13	Machine Shop Instructor	18	30	I.T.I. Cerficate of competency in Machinist/Grinder trade with 3 year Experience.	Head of Institution

14	Lab Technician	18	30	1. Technical: Diploma in appropriate Branch from recognised Institution 2. Science:- Bachelor's Degree in Science Subject from Recognised Institution (For Physics and Chemistry and other Lab)	Head of Institution
15	Mechanic Grade-2	18	30	I.T.I. Cerfificate of competency in the appropriate trade with 3 years experience.	Head of Institution
16	Tme Keeper	18	30	Higher Secondary School Certificate	Head of Institution
17	Laboratory Assistant	18	30	Higher Secondary school cerficate with science subject.	Head of Institution
18	Maintanance Technician	18	30	(A)I.T.I. pass in Mechanical-Machinist/fitter trade and 5 year work expenience in any Industrial organisation (B)I.T.I. Pass in Electrician/electronics Trade and work experience in any Industrial Institution organization.	Head of Institution
19	Computer Hardware Mechanic	18	30	Higher Secondary pass with I.T.I. Certficate of competencey in Mechanic computer hardware trade and 1 year work experience from recognised Institution.	Head of Institution
20	Demonstrator	18	30	At least II nd class Diploma in appropriate (Technical/Minig) in concerned Branch of Engg. Experienced candidate will be preferred.	Head of Institution
21	Asstt Librarian./ Library clerk	18	30	Higher Secondary School Certificate Exam in First Division (10+2 Scheme) having passed Certificate Examination in Library Science.	Head of Institution
22	Boiler Attendent	18	30	At least II class boiler attendent certificate Preference will be given to candidate who possess Higher Secondary School Certificate.	Head of Institution
23	Skilled Assistant/ Attendant	18	30	I.T.I. cerfificate of comperency in the related trade. Preference will be given to experienced candidate.	Head of Institution
24	Engine Driver/ Attendent	18	30	I.T.I. certificate of competency in the Driver/Mechanic trade with 3 year experience of operating and mintenance of I.C.Engines.	Head of Institution
25	Gas Machanic	18	30	At least higher secondary school certificate with I.T.I. certificate of competency with 3 years experience in Maintenance of kerosene oil gas and gas plant.	Head of Institution
26	Electrician	18	30	I.T.I. Certificate of competency in the trade with 2 years experience OR Tenth class pass with wireman's licence of the M.P./C.G. Electricity Licencing Board.	Head of Institution

27	Compoundor	18	30	As prescribed by Public health department.	By-Deputation
28	Tracer	18	30	I.T.I. certificate of competency in draftsman ship from recognised I.T.I	Head of Institution
29	Career Master	18	30	Bachelor's Degree in Education or bachelor degree in arts with psychology as a subject or Bachelor's degree in Agriculture or equivalent thereto with 3 year teaching experience and command on Hindi language. Preference will be given for B.Sc. (Agriculture Degree)	Director of Technical Education
30	General Education Teacher	18	30	B.A./B.Sc. with B.T.I/B.Ed. Teaching experience will be Preferred	Director of Technical Education
31	Craft Instructor	18	30	I.T..I. Certificate of competency in the concerned trade with three-year work experience and ability to teach in Hindi.	Director of Technical Education
32	Driver	18	30	Tenth pass with licence of Heavy vehicles and 3 year work expericec.	Head of Institution
33	Plumber fitter	18	30	I.T.I. cerfificate of competency in the trade with one year's experience.	Head of Institution
34	Campus superviser	18	30	First class Bachelor Degree in any subject.	Head of Institution
35	Type writer Mechanic	18	30	I.T.I. Cerfificate of Competency in fitter trade with 5 years experiencein the repairing of typewriter or 10 years practical experience in the concerned branch.	Head of Institution

Note: According to the needs of the Institutions, for the posts of Technical Asstt. and Laboratory technician, candidates with technical qualifications (Diploma or ITI Certificate) shall be recruited for technical departments and candidates with Science qualifications shall be recruited for non-technical departments e.g. Physics and Chemistry and other Laboratories.

SCHEDULE NO. IV.
(See Rule 13 and 14)

S.No.	Name of the Post from is to which promotion is be made.	Name of the post to which promotion is to be made.	Exprience for Promotion	Educational Qualifications for Promotion.	Name of the Members of the Departmental Promotion Committee.
01.	02.	03.	04	05.	06.
A. Directoate of Technical Education					
1	Data Entry Opretor	Program Assistant	10 years	See Schedule -III	1. Senior Principal, Engineering College- Chairman 2. Senior Principal, Polytechnic – Member. 3. Joint Director, Nominated by Director, Technical Education – Member 4. Professor – Related Subject- Nominated in Director, Technical Education
B. Engineering College/Polytechnic					
1	Work Shop Asstt./ Work Shop Instructor/Junior Instructor/ Technical Assistant	Asstt. Workshop Foreman	5 years	-do-	-do-
2	Data Entry operator/Computer operator/Computer Room Asstt.	Program Assistant	10 years	-do-	-do-
3	Demonstrator/Instrument Repairer/Mechanic/Maintenance Technician	Junior Instructor	5 years	-do-	-do-
4	Instructor/Machine Shop Instructor	Workshop Instructor	5 years	-do-	-do-
5	Matron/Care taker (Polytechnic)	Campus Supervisor	5 years	-do-	-do-
6	Laboratory Technician	Technical Assistant	5 years	-do-	-do-
7	Skilled Attendant(Laboratory)	Laboratory Technician	5 years	-do-	-do-

8	Skilled Assistant (Workshop) Boiler Attendant	Instructor	5 years	-do-	-do-
9	Tracer	Draughtsman	12 years	-do-	-do-
10	Laboratory Attendant	Skilled Attendant	5 years	-do-	-do-
11	Workshop Attendant/ Assistant Instructor	Skilled Assistant (Workshop)	5 years	-do-	-do-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.